

न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, वैशाली (हाजीपुर)

आपराधिक पुनरीक्षणवाद संख्या 246 / 2025

मुकेश कुमार बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य

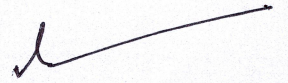
26.05.2026

पुनरीक्षकर्ता की ओर से हाजरी के साथ शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
पुकार पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को ग्रहण के बिंदु पर सुना एवं
अभिलेख का परिशीलन किया।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि है कि अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
XV, हाजीपुर, वैशाली द्वारा परिवाद संख्या-708/2025 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2026
से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षणवाद दाखिल है। आगे कहते हैं कि उभय पक्षों के बीच सुलह हो
गया तथा सुलह के आधार पर उक्त वाद दिनांक 09.05.2026 को लोक अदालत के माध्यम
से समाप्त हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत वाद का कोई औचित्य नहीं रह जाता है
तथा पुनरीक्षकर्ता प्रस्तुत वाद वापस लेना चाहते हैं, अतः पुनरीक्षणवाद वापसी हेतु अनुमति
दी जाय।

सुना। निवेदन स्वीकार कर पुनरीक्षणवाद वापसी के आधार पर खारीज
किया जाता है।



सत्र न्यायाधीश
वैशाली (हाजीपुर)।